न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

प्रकरण संख्या:– 140/दावा/2018

1. तुलसीराम आयु 80 वर्ष आ0 भूरा जाति माली निवासी ग्राम ठीकरदा, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी, राज0।
2. हेमराज आयु 45 वर्ष आ0 तुलसीराम जाति माली निवासी ग्राम ठीकरदा, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।

वादीगण

बनाम

1. अहमद अली आयु 65 वर्ष आ0 अकबर जाति मुसलमान, निवासी बालचंदपाडा बून्दी, तहसील व जिला बून्दी।
2. भंवरलाल आ0 भोजा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी रामचन्द्र जी का खेडा, थाना दबलाना, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।

प्रतिवादीगण

दावा पत्र अंतर्गत :– धारा 188 आर0टी0एक्ट

वादी अभिभाषक :– श्री शम्भूदयाल शर्मा
प्रतिवादी – एकतरफा

निर्णय दिनांक :– 10/03/2021

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने दावा पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट प्रस्तुत कर अंकन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 51 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, 62 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम ठीकरदा पटवार हल्का ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। भूमि की नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादी संख्या 1 तुलसीराम आ0 भूरा हि0 1/2 का खातेदार कृषक है। वादी व सहखातेदारों ने काश्त करने की सुविधा की दृष्टि से मौके पर भूमि के हिस्से कर रखे है और हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि पर गेहूं की फसल बेलो द्वारा हल से बोई है एवं वादी ने उक्त फसल की सिंचाई हेतु क्यारियां (क्यारां–डोली) बना रखी है इस प्रकार वादीगण शांतिपूर्वक अपने हिस्से की भूमि पर काश्त कर रहे है। वादीगण व सहखातेदारों के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नही है और सहखातेदारों व

गण के मध्य भूमि पर काश्त करने व भूमि बंटवारे संबंधी किसी प्रकार का कोई विवाद नही होने से वादीगण ने सहखातेदारों को वाद में पक्षकार नही बनाया है और वादीगण के कब्जे में दखलन्दाज करने का प्रयास करने व भूमि पर से बेदखल करने की धमकी देने वाले व्यक्तियों को इस वाद में प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 अहमद अली बदमाश किस्म का व्यक्ति है जो गरीब काश्तकारों की भूमियों पर कब्जा करने का आदि रहा है। जिसने प्रतिवादी संख्या 2 से सांठ–गांठ कर रखी है दोनों प्रतिवादी वादी तुलसीराम के वृद्व व 80 वर्षीय सीनियर सीटीजन व्यक्तियों होने का अनुचित फायदा उठाकर वादी की भूमि पर दादागिरी के बल पर जबरन कब्जा करना चाहते है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। प्रतिवादीगण आये दिन वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाज करते है रास्ता रोकते है और डरा धमकाकर जान से मारने की धमकी देकर प्रार्थी की भूमि को हडपना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि में बोई हुई गेहूं की फसल को नष्ट करने व भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने की कुचेष्टा कर रहे है। वादी वृद्व सीनियर सीटीजन व्यक्ति है जो अब भूमि पर स्वयं काश्त करने में असमर्थ है। वादी तुलसीराम वृद्व होने से वादी का पुत्र हेमराज वादी के साथ वर्तमान में उक्त भूमि पर खेती कर रहा है। वादीगण ने वर्तमान में वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में निहित अपने हिस्से की 1/2 भूमि पर गेहूं की फसल बो रखी है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने साथ प्रतिवादी संख्या 2 को मिला लिया है और उक्त दोनों व्यक्तियों ने कानून के विरूद्व गिरोह बना लिया है जो जबरन अवैध रूप से कानून को हाथ में लेकर खून खराबा करके वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। दिनांक 12.11.18 को प्रतिवादी संख्या 2 भंवरलाल गुर्जर वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से भूमि पर आ गया और जान से मारने की धमकी दी जिसकी रिपोर्ट वादी संख्या 2 ने थाना दबलाना में की जिस पर पुलिस ने जांच कर मौके पर वादी का ही कब्जा प्रमाणित पाये जाने पर प्रतिवादी संख्या 2 को दफा 107, 151 जा0फो0 में गिरफतार कर श्रीमान के न्यायालय में पाबंद करवाया। प्रतिवादी संख्या 1 अहमद अली व प्रतिवादी संख्या 2 भंवरलाल ने विजय सिंह कानिस्टेबल थाना दबलाना से सांठ–गांठ कर ली और वह अपने पद का दुरूपयोग कर वादी की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा कराने के आशय से तीनों एक राय होकर दिनांक 24.11.2018 को वादीगण की भूमि पर आ गये और वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने धमकी दी कि हम तुम्हारी गेहूं की फसल को नष्ट करेगे और तुम्हारी भूमि पर कब्जा करेगे और आडे फिरोगे तो जान से मारेगे। वादीगण ने कब्जा नही करने दिया तो विजय सिंह कानिस्टेबल ने वादीगण को धमकी दी कि तुम अहमद अली को भूमि पर कब्जा करने दो वरना मैं तुम्हे थाने में ले जाकर लॉक–अप में बंद करूंगा और पटटे लगाउंगा और तुम्हारी भूमि पर कब्जा करवाउंगा, लेकिन वादीगण ने प्रतिवादीगण को भूमि पर कब्जा नही करने दिया और वादीगण द्वारा एस0पी0 साहब बून्दी को शिकायत करने की कहने पर उक्त प्रतिवादीगण वहां से चले गये लेकिन जाते वक्त धमकी देकर गये कि हम रात्रि में आकर तुम्हारी गेहूं की फसल को नष्ट करेगे और भूमि

कब्जा करेगे। यही वाद कारण है जो अंतिम रूप से दिनांक 24.11.18 को उत्पन्न हुआ वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित वादी के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि जिस पर वादीगण ने गेहूं की फसल बो रखी है, उक्त भूमि पर कब्जा नही करने, वादीगण की फसल नष्ट नही करने, वादीगण को बेदखल नही करने व फसल की निराई–गुढाई–कटाई करने मे बांधा उत्पन्न नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवावें। सहखातेदारान व वादीगण के मध्य कोई विवाद नही होने व सहखातेदारान के विरूद्व वादीगण द्वारा कोई अनुतोष नही चाहने से सहखातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया है, केवल जिन व्यक्तियों द्वारा वादीगण को धमकी दी जा रही है उनकों पक्षकार बनाकर यह वाद पेश किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि ग्राम ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी स्थित होने से श्रीमान को उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद अंतर्गत अवधि मध्य निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जावें – कृषि भूमि खसरा संख्या 51 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, 62 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम ठीकरदा में निहित वादी तुलसीराम के खाते व हिस्से की 1/2 भूमि जिस पर वादीगण द्वारा गेहूं की फसल बो रखी है, पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नही करने, वादीगण को भूमि पर से बेदखल नही करने, भूमि पर जबरन कब्जा नही करने, फसल नष्ट नही करने व फसल की निराई–गुढाई–फसल कटाई करने में बाधा उत्पन्न नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेंधाज्ञा सें पाबन्द किया जावे, कि ऐसा न तो स्वयं ही करे और न ही अन्य से करावें। अन्य न्यायोचित सहायता जो वादीगण को उपलब्ध हो प्रदान की जावें। खर्चा मुकदमा दिलाया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल/सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनका जवाब बंद किया जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य पेश किये जो शामिल मिसल किये गये। साक्ष्यवादी समाप्त होने तक भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब पेश नही करने/न्यायालय में उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

हमने प्रकरण पर वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकीलवादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों कों दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम ठीकरदा में खाता संख्या 403 खसरा संख्या 51, 62 कुल किता 2 कुल रकबा 7.18 बीघा भूमि स्थित है जो कि वादीगण व अन्य सहखातेदारों की खातेदारी में अंकित है। अन्य सहखातेदारों व वादीगण ने अपनी सुविधा अनुसार काश्त हेतु भूमि का बंटवारा कर रखा है जिसमें अन्य सहखातेदारों द्वारा कोई विवाद नही किया जा रहा है जिस कारण उन्हे पक्षकार नही बनाया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 झगडालू किस्म के व्यक्ति है जिन्होने गिरोह बना रखा है व

गण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते है व वादीगण को डरा धमकाकर वादीगण सहखातेदारी भूमि पर निहित हिस्से में अनाधिकृत रूप से कब्जा करना चाहते है जिनका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादीगण द्वारा दखलन्दाजी करने पर उनके विरूद्व थाना दबलाना में शिकायत की गई जिस पर उन्हे इंसदादी कार्यवाही कर पाबंद करवाया गया है फिर भी प्रतिवादीगण बार–बार कब्जा करने की धमकियां दे रहे है उन्हे पांबद किया जावें। वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण जबरन फसल बोने पर आमादा है जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावें। हमारे साक्ष्य अखण्डित रही है। मैं सहखातेदार हूँ, अतः मेरा वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व डिकी किया जावें।

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत 2071 से 2074 ग्राम ठीकरदा में खाता संख्या 403 खसरा संख्या 51, 62 कुल किता 2 कुल रकबा 7.18 बीघा भूमि स्थित है जो कि वादीगण व अन्य सहखातेदारों की खातेदारी में अंकित है। जिस पर दखलन्दाजी करने का प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादीगण ने कोई जवाब पेश नही किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डित रही है। विवादित भूमियों का वादी खातेदार होने से प्रतिवादीगण को पांबद कराने का अधिकारी है। उपरोक्त तथ्यों से वाद वादी डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खाता संख्या 403 खसरा संख्या 51, 62 कुल किता 2 कुल रकबा 7.18 बीघा भूमि वाके ग्राम ठीकरदा पटवार मण्डल ठीक़रदा में स्थित है जो कि वादीगण व अन्य सहखातेदारों की खातेदारी में अंकित है, के किसी भी भू–भाग पर जबरन कब्जा नही करे, वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करे एवं वादीगण को उक्त भूमि पर फसल बोने में व्यवधान पैदा नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है। पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली